निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :275/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रूस्तम शेख पुत्र स्व. श्री नजीर अहमद शेख निवासी ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमेश चन्द माहेश्वरी आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर ।
2. मुराद अली शेख पु.स्व. श्री सद्दीक अहमद जाति मुसलमान
3. आशा बानो पुत्री स्व. श्री सद्दीक अहमद जाति मुसलमान
4. श्रीमती हसमत बानो पत्नी स्व. श्री सद्दीक अहमद जाति मुसलमान

समस्त निवासीगण ग्राम नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 95/2022, ब उनवानी मुराद अली बनाम रियाज अहमद व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री विवेक आनन्द अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 27.12.2022**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 95/2022 ब उनवानी मुराद अली बनाम रियाज अहमद व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से वकील राजाराम चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 की राजनैतिक पहुंच है तथा दिनांक 24.11.2022 को उपखण्ड अधिकारी फागी ने प्रार्थी को सीधे तौर पर कहा है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश अवश्य प्रदान करेंगे, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 को प्रभाव में ले रखा है तथा प्रार्थी को उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी फागी से न्याय़ की कोई उम्मीद नहीं रही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 ता

जिला कलक्टर
जयपुर

4 के हक में ही आदेश पारित करेंगे। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के अधिवक्ता का कथन है कि चूंकि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाये गये है, इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जावे तो कोई एतराज नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी फागी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 95/2022, व उनवानी मुराद अली बनाम रियाज अहमद व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 16.01.2023 अग्रिम सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं उपखण्ड अधिकारी फागी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **27.12.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर, जयपुर जिला, जयपुर

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर